संख्या–04/2016/461 /62-1-2016-1107/2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2016

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के लिए आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 05जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू दिनांक 01 अप्रैल,2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-726/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में चालू विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 94200 हजार (रूपया नौ करोड बयालिस लाख मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

1- (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
(अ)''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सद्ढीकरण।''			
1	08-कार्यालय व्यय	6000	6000
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1400	1400
3	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000
4	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6200	6200
5	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2200	2200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	18-प्रकाशन	4500	4500
7	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1200	1200
8	29-अनुरक्षण	2000	2000
9	42-अन्य व्यय	2500	2500
10	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500	500
11	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	1600	1600
12	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1400	1400
	योग	**30500**	**30500**
(ब)4702-लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-07-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आंकलन एवं सद्रढीकरण।''			
1	25-लघु निर्माण कार्य	6000	6000
	योग (अ*ब)	**36500**	**36500**

2- (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
(अ)''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-04-भूगर्भ जल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं गहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	100	100
2	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	100
3	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4680	4680
4	18-प्रकाशन	150	150
5	42-अन्य व्यय	100	100
6	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	0	0
7	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0	0
	योग	5130	5130
(ब)4702-लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-08-भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं ग्रहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट ।''			
1	25-लघु निर्माण कार्य	450	450
	योग (अ*ब)	**5580**	**5580**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-05-जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र।''			
1	08-कार्यालय व्यय	500	500
2	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	0
3	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800	800
4	18-प्रकाशन	500	500
5	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	800	800
6	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	400	400
	योग	**3000**	**3000**

4- (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-06-रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ रिचार्जिंग ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	600	600
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100	100
3	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200	200
4	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	500
5	18-प्रकाशन	250	250
6	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0	0
7	29-अनुरक्षण	400	400
8	42-अन्य व्यय	350	350
9	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100	100
	योग	**2500**	**2500**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2015-16	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
(अ)''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-08-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	100	100
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50	50
3	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100	100
4	18-प्रकाशन	100	100
5	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	0	0
6	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0	0
	योग	**350**	**350**
(ब)4702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-102-भूजल-005-अन्वेषण-06-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।''			
1	25-लघु निर्माण कार्य	29650	29650
	योग (अ*ब)	**30000**	**30000**

6- (धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-09-भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग ।''			
1	08-कार्यालय व्यय	400	400
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100	100
3	13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
4	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	400	400
5	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	13620	13620
6	18-प्रकाशन	400	400
7	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1500	1500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8	29-अनुरक्षण	100	100
	योग	16620	16620
	कुल योग-1*2*3*4*5*6	**94200**	**94200**

(रूपये नौ करोड बयालिस लाख मात्र)

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च,2015 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधिानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(3) अवमुक्त धरनाराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाये।

(4) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त आहरण कदापि न किया जाय। आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक शासन को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें –

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 05 तारीख तक

2- प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण 15-10-2016 तक

3- व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण 15-12-2016 तक

4- वर्ष 2016-17 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो 15-02-2017 तक

5- आवंटन का समर्पण 15-3-2017 तक

नोट- दिनांक 15-3-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9)- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 04 /2016/461(1)/62-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3- नियोजन अनु0-3, उ0प्र0 शासन।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।

5- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1/2, उ0प्र0शासन।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- निदेशक, सूचना, उ0प्र0।

8- एन0आई0सी0 की प्रति।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in